

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1782/2010/धौलपुर  
अपील संख्या 1783/2010/धौलपुर

मैसर्स जी ई ए एनर्जी सिस्टम (इण्डिया) लि.,  
भीलवाडा ब्रान्च धौलपुर।  
बनाम्

.....अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
चेक पोस्ट रतनपुर, जिला झुंगरपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पारस पाटनी,  
अभिभाषक  
श्री डी.पी.ओझा,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 140 एवं 141/वैट/2006-07 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 16.06.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चेक पोस्ट रतनपुर, जिला झुंगरपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 17.10.2006 के जरिये कायम की गयी पृथक-पृथक शास्ति राशि रूपये 2,32,975/- को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है।
2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 01.10.2006 को प्रकरण संख्या 1782/10 में आरजे 06/जीए-0365 व प्रकरण संख्या 1783/10 में वाहन संख्या एचआर 55-सी-6881 को चैक किया गया। वाहनों में स्टील पाईप्स लदे हुए थे। वाहनों के साथ क्रमशः बिल्टी संख्या 633804 व 63805 दिनांक 29.09.2006 पाईप नगर से धौलपुर, मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लि. पाईप नगर महाराष्ट्र द्वारा जारी डिलीवरी चालान कम इनवाइस संख्या क्रमशः 3347 व 3346 दिनांक 29.09.2006 कीमत 7,76,584/- व 7,74,899/- का पाया गया। इसमें कन्साईनी मैसर्स जी ई ए एनर्जी सिस्टम (इण्डिया) द्वारा जारी श्रीवात्सा ट्यूब कॉर्पोरेशन, धौलपुर गैस कम्बाइन्ड

लगातार.....2

साईकल पावर प्रोजेक्ट, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, धौलपुर का नाम अंकित था तथा बिल टू : श्रीवात्सा ट्यूब कॉर्पोरेशन चैन्सई दर्ज किया हुआ था। इनके अलावा परिवहनित माल के साथ अन्य कोई दस्तावेज नहीं पाये गये। परिवहनित माल के साथ एसटी-18ए संलग्न नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सूचना पत्र जारी किया, जिसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 76(2) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पृथक-पृथक शास्ति राशि रूपये 2,32,470/- का आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 16.06.2010 द्वारा दोनों अपीलों को अस्वीकार कर दिया।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त जांच वाहनों के साथ पूर्ण रूप से भरे बिल एवं बिल्टी मौजूद थे, एवं परिवहनित माल का विक्रय धारा 6(2) का होने के कारण इसने साथ घोषणा प्रपत्र 18ए की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, परन्तु फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा प्रपत्र 18ए के अभाव में शास्ति का आरोपण कर दिया, जो अविधिक है। उन्होंने आगे कथन किया कि परिवहनित माल विद्युत उत्पादन के लिए जा रहा था, एवं इसके मुख्य क्रेता रा.रा.वि.उ.नि.लि., धौलपुर है जिसे नियम 53(1)(आई) के प्रावधानों के अनुसार घोषणा प्रपत्र 18ए की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने न्यायिक निर्णय आरटीबी (2013) मैसर्स एबीबी लि., जयपुर बनाम एसीटीओ, टीयूडी 37 पेज 233 एवं RHC (2007) 28 सैल्स टैक्स टुडे 131 मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त को प्रतिपादित कर अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल एक अधिसूचित वस्तु थी, एवं अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित वस्तुओं के साथ घोषणा प्रपत्र 18ए का संलग्न होना आवश्यक होता है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहनों के साथ बिल एवं बिल्टी मौजूद थे, जिनमें

लगातार.....3

पाईप नगर, महाराष्ट्र से धौलपुर, मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लि. पाईप नगर, महाराष्ट्र द्वारा जारी किया हुआ अंकित था। साथ ही इसमें कन्साईनी मैसर्स जी ई ए एनर्जी सिस्टम (इण्डिया) द्वारा जारी श्रीवात्सा ट्यूब कॉर्पोरेशन, धौलपुर गैस कम्बाईन्ड साईकल पावर प्रोजेक्ट, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, धौलपुर का नाम भी अंकित था, इससे यह स्पष्ट होता है कि माल अपीलार्थी द्वारा ही मंगवाया गया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णय आरटीबी (2013) मैसर्स एबीबी लि., जयपुर बनाम एसीटीओ, टीयूडी 37 पेज 233, RHC (2007) 28 सैल्स टैक्स टुडे 131 मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इनके तथ्य भिन्न हैं। परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी में 6(2) की बिक्री का भी कोई Endorsment नहीं पाया गया था, अतः इसे 6(2) की बिक्री भी नहीं मानी जा सकती है।


9. अधिनियम की धारा 53(1)(i) के अनुसार विद्युत उत्पादन एवं वितरण में प्रयुक्त होने वाले माल के साथ घोषणा प्रपत्र की आवश्यकता नहीं होती है, परन्तु परिवहनित माल राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, धौलपुर द्वारा सीधे क्रय नहीं किया जाकर अपीलार्थी को माल सप्लाई करने हेतु ठेका दिया हुआ था। अब चूंकि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में आता है, अतः इसके साथ घोषणा प्रपत्र 18ए का होना आवश्यक है, जो कि माल के परिवहन के समय माल के साथ संलग्न नहीं था। इस प्रकार यह अधिनियम की धारा 76(2) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:-

**76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispatch memos.**

10. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल-बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम का धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन किया गया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब वाहन को चैक किया गया, उस समय उसके पास परिवहनित किए जा रहे माल के साथ आवश्यक दस्तावेज घोषणा प्रपत्र 18ए उपलब्ध नहीं था, अतः यह अधिनियम की धारा 76(2)(b) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

11. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीले अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश 16.06.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य